उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी, नैनीताल

विश्वविद्यालय वित्त समिति की
22वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक	--	03 सितंबर, 2026
समय	--	प्रात: 11:00 बजे
स्थान	--	विश्वविद्यालय सभागार

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 22वीं बैठक दिनांक 03.09.2026 का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 22वीं बैठक दिनांक 03.09.2026 को पूर्वान्ह 11:00 बजे विश्वविद्यालय सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नवत पदाधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1.	प्रो. नवीन चंद्र लोहनी कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	अध्यक्ष
2.	श्री मनुज गोयल अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन (प्रतिनिधि सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन)।	सदस्य
3.	श्रीमती स्मिता जोशी, वरिष्ठ वित्त अधिकारी, श्रमायुक्त कार्यालय, हल्द्वानी (प्रतिनिधि सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन)।	सदस्य
4.	श्रीमती योजना रावत, निदेशक शोध, पंजाब विश्वविद्यालय (सदस्य कार्य परिषद)।	सदस्य
5.	श्री सूर्य प्रताप सिंह वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	सदस्य सचिव
6.	डा0 खेमराज भट्ट कुलसचिव उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	आमंत्रित सदस्य

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

सर्वप्रथम सचिव, वित्त समिति द्वारा बैठक प्रारम्भ करने के लिए अध्यक्ष महोदय (कुलपति जी) की अनुमति उपरान्त समिति में उपस्थित सभी सदस्यों का परिचय के साथ स्वागत किया गया। सचिव, वित्त समिति के द्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक क्रिया-कलापों एवं अन्य संगत गतिविधियों की संक्षिप्त जानकारी से सभी सदस्यों को अवगत कराया गया। तत्पश्चात 22वीं बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने के साथ ही वित्त समिति के सम्मुख प्रस्तुत कार्यसूची के अनुसार 09 प्रस्तावों पर विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त अधोलिखित निर्णय लिए गए।

प्रस्ताव संख्या 22.01- वित्त समिति की 21 वीं बैठक दिनांक-28/02/2026 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनांक 28.02.2026 को सम्पन्न वित्त समिति की 21वीं बैठक का कार्यवृत्त समिति के सदस्यों को प्रेषित किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में बिन्दु संख्या 21.05 पर प्रतिनिधि, सचिव महोदय, वित्त एवं प्रतिनिधि, सचिव महोदय, उच्च शिक्षा से संशोधन प्राप्त हुए हैं।

अतः उक्त पर विचार करते हुए वित्त समिति की 21वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि किये जाने हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय:— समिति ने बिन्दु संख्या 21.05 के संबंध में संस्तुति दी कि शासन से प्राप्त समस्त अनुदान की राशि विश्वविद्यालय द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में रखी जाए तथा विश्वविद्यालय के स्वयं के स्त्रोतों से प्राप्त आय को विभिन्न बैंकों से दरें प्राप्त करते हुए अधिकतम दर पर सावधि जमा के रूप में निवेश किया जा सकता है। अन्य बैंकों द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अधिक ब्याज दरें दिए जाने पर सर्वाधिक ब्याज दर वाले बैंक में सावधि जमा करते हुए तत्संबंधी सूचना शासन को प्रेषित की जाएगी।

समिति ने 21वीं बैठक के शेष कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि करते हुए उक्तानुसार प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या 22.02- वित्त समिति की 21वीं बैठक, दिनांक-28/02/2026 में पारित निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

प्रस्ताव संख्या	वित्त समिति का अनुमोदन / निर्णय	कृत कार्यवाही की सूचना
21.01	20वीं बैठक दिनांक-17/11/2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	पूर्ण
21.02	20वीं बैठक दिनांक-17/11/2025 में पारित निर्णयों पर कृत कार्यवाही।	पूर्ण
21.03	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 का पुनरीक्षित आय-व्यय विवरण।	पूर्ण
21.04	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु आय-व्ययक पर विचार एवं स्वीकृति।	पूर्ण
21.05	उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चयनित बैंकिंग साझीदार (SBI) के साथ MOU पर विचार।	वित्त समिति के सदस्यों के संशोधन प्रस्तावों के क्रम में पुनः विचार हेतु प्रस्तुत
21.06	उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय पूंजी निधि प्रबंधन नीति-2026 के गठन एवं अनुमोदन पर विचार।	अनुमोदित एवं लागू
21.07	कंप्यूटर साइंस विभाग में 50 कंप्यूटर की क्षमता की प्रयोगशाला की स्थापना।	कार्यवाही गतिमान
21.08	शोध पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क निर्धारण समिति की अनुशंसाओं पर विचार।	पूर्ण
21.09	राज्य सरकार की विनियमितीकरण (संशोधन) नियमावली 2025 का अंगीकरण।	पूर्ण
21.10	राज्य सरकार की मृतक आश्रित नियमावली (संशोधन 2023) का अंगीकरण।	पूर्ण
21.11	परीक्षा उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण।	पूर्ण
21.12	विद्या परिषद की 34वीं बैठक में पारित वित्तीय उपाशय निहित प्रस्तावों पर विचार।	पूर्ण
21.13	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव (मूर्तियां, ओपन जिम, स्वर्ण पदक नीति, आदि)।	कार्यवाही गतिमान

निर्णय:— समिति ने बिन्दु संख्या 21.05 के संबंध में प्रस्ताव संख्या 22.01 में लिए गए निर्णय के अनुसार कार्यवाही करने एवं शेष बिंदुओं पर कृत कार्यवाही पर संतोष व्यक्त करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या 22.03- वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु पुनरीक्षित आय-व्ययक पर विचार।

विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु आय-व्ययक का पुनरीक्षित अनुमान समिति के अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है। विभिन्न शैक्षणिक विभागों से प्राप्त नवीन प्रस्तावों के क्रम में पुनरीक्षित बजट आवंटन निम्नानुसार प्रस्तावित है।

विभाग	विवरण	पूर्व आवंटित बजट	संशोधित बजट मांग
अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशालय	इंटरनेशनल विजिटिंग प्रोफेसर प्रोग्राम हेतु	-	₹ 4,92,000-
पुस्तकालय विज्ञान विभाग	पुस्तकों / जर्नल क्रय एवं अन्य आकस्मिक व्यय हेतु	₹ 1,05,000	₹ 9,81,300-
बॉटनी विभाग	स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु प्रयोगशाला एवं इंस्ट्रूमेंट लैब की स्थापना, बॉटनिकल गार्डन, आवश्यक उपकरण एवं अन्य सुविधाओं हेतु	₹ 36,00,000	₹ 49,00,000-
रसायन विज्ञान विभाग	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों हेतु प्रयोगशाला, आवश्यक उपकरण एवं अन्य सुविधाओं हेतु	₹ 28,50,000	₹ 50,00,000-

संशोधित बजट मांग हेतु धनराशि अन्य मदों में बचत के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्तानुसार पुनरीक्षित बजट आवंटन/ प्रस्ताव अनुमोदन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय:—समिति ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन के दृष्टिगत उपरोक्तानुसार पुनरीक्षित बजट आवंटन/प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी.

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या 22.04- केन्द्रीय मूल्यांकन हेतु मानदेय की दरों के पुनरीक्षण पर विचार।

परीक्षा अनुभाग द्वारा केन्द्रीय मूल्यांकन एवं परीक्षाफल घोषित किए जाने के कार्य में सम्मिलित मूल्यांकन समिति, शिक्षकों, अधिकारियों एवं कार्मिकों हेतु पुनरीक्षित मानदेय दरें निम्नवत प्रस्तावित की गई हैं: (प्रत्येक व्यक्ति हेतु प्रति सत्र अधिकतम भुगतान सीमा ₹ 50,000/- होगी):

क्रम	श्रेणी / पदनाम	प्रति दिवस मानदेय (₹)
01	प्रभारी केन्द्रीय मूल्यांकन / प्राध्यापक	1000/-
02	उप प्रभारी मूल्यांकन / सह प्राध्यापक	900/-
03	सहायक प्रभारी / सहायक प्राध्यापक	800/-
04	परीक्षा सहायक / सहायक प्राध्यापक (ए०सी०)	700/-
05	तृतीय श्रेणी कार्मिक	600/-
06	चतुर्थ श्रेणी कार्मिक	500/-

इसके अतिरिक्त परीक्षा अनुभाग एवं अन्य सम्बद्ध अनुभागों के अधिकारियों/ कार्मिकों हेतु प्रत्येक परीक्षा सत्र में अतिरिक्त प्रोत्साहन/मानदेय दरें निम्नवत प्रस्तावित हैं -

क्रम	कार्मिकों की श्रेणी (प्रत्येक परीक्षा सत्र हेतु)	मानदेय (₹)
01	उप परीक्षा नियंत्रक / सहायक परीक्षा नियंत्रक	10,000/-
02	सहायक कुलसचिव / अन्य सभी समकक्ष	9,000/-
03	परीक्षा सहायक / सहायक प्राध्यापक (ए०सी०)	5,000/-
04	समूह 'ग'	5,000/-
05	समूह 'घ'	4,000/-

निर्णय:— प्रतिनिधि, सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा अतिरिक्त कार्य एवं व्यय के संबंध में विस्तृत एवं तुलनात्मक विवरण पृथक से उपलब्ध कराए जाने हेतु कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक को निर्देशित किया गया। अन्य समस्त सदस्यों ने कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत नवीन व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु मानदेय की दरों को जनवरी 2026 सत्र से लागू किए जाने हेतु सहमति प्रदान की।

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या 22.05- उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षार्थियों हेतु शुल्क भुगतान/ वापसी के संबंध में नवीन व्यवस्था पर विचार।

वर्तमान में विश्वविद्यालय के कुछ शुल्कों के भुगतान हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा का चालान बनाना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक के निशुल्क गेटवे का प्रयोग प्रवेश संबंधी कार्यों हेतु किया जा रहा है। शिक्षार्थियों की सुविधा के दृष्टिगत सभी प्रकार के शुल्कों के भुगतान हेतु शिक्षार्थियों को पंजाब नेशनल बैंक या अन्य पेमेंट गेटवे का प्रयोग करते हुए QR कोड के माध्यम से भुगतान की सुविधा अनुमन्य कराई जाना प्रस्तावित है।

वर्तमान में विश्वविद्यालय की शुल्क वापसी नीति के अनुसार सभी प्रकार की शुल्क वापसी शिक्षार्थी के स्वयं के खाते में ही की जाती है। प्रायः देखा जाता है कि कई शिक्षार्थियों के स्वयं के नाम से खाते नहीं होने के कारण उन्हें शुल्क वापसी में अत्यधिक समस्या होती है। शिक्षार्थियों की सुविधा एवं शुल्क वापसी में अनावश्यक विलंब को कम करने के लिए शिक्षार्थियों के लिखित अनुरोध के आधार पर उनके माता-पिता, भाई-बहिन एवं पति-पत्नी के खातों में शुल्क वापसी अनुमन्य किया जाना प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त शिक्षार्थियों की सुविधा एवं शुल्क वापसी में अनावश्यक विलंब को कम करने के लिए शिक्षार्थियों की पंजीकृत UPI ID के माध्यम से भी शुल्क वापसी की जानी प्रस्तावित है।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:— समिति ने शिक्षार्थियों की सुविधा के दृष्टिगत सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

प्रस्ताव संख्या 22.06- उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययन केंद्रों एवं क्षेत्रीय सेवा निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों/कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि एवं सुविधाओं के प्रावधान पर विचार।

क्षेत्रीय सेवा निदेशालय (RSD) के प्रस्ताव के अनुसार अध्ययन केंद्रों एवं क्षेत्रीय केंद्रों में शिक्षार्थियों की संख्या तथा प्रशासनिक दायित्वों में वृद्धि के दृष्टिगत मानदेय पुनरीक्षण एवं मूलभूत सुविधाओं की स्वीकृति हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत हैं:

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

कुलसचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

1. क्षेत्रीय केंद्रों में कार्यरत अधिकारियों/कार्मिकों का मानदेय वर्ष 2012 में निर्धारित किया गया था। वर्तमान में इनके लिए मानदेय वृद्धि निम्नानुसार प्रस्तावित है :

	वर्तमान (₹ प्रतिमाह)	प्रस्तावित (₹ प्रतिमाह)
प्राचार्य	1,800	2,500
क्षेत्रीय निदेशक	7,000	8,000
अनुसेवक	700	1,500
पर्यावरण मित्र	-	1,000

2. विशेष शिक्षार्थी सहायता केंद्रों के सुचारु संचालन हेतु आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय द्वारा निम्नानुसार सामग्री उपलब्ध कराई जानी प्रस्तावित हैं।

   डेस्कटॉप कंप्यूटर- 01, प्रिंटर स्कैनर– 01, यूपीएस– 01, कार्यालय रैक- 01, अलमारी- 01, कंप्यूटर फर्नीचर– 01, सूचनापट्ट - 01.

3. विशेष शिक्षार्थी सहायता केंद्रों के माध्यम से प्रवेश लेने वाली शहीद सैनिकों की विधवाओं एवं कारागारों में निरुद्ध कैदियों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने के दृष्टिगत प्रवेश शुल्क एवं परीक्षा शुल्क में 100% छूट प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

4. पर्वतीय क्षेत्रों के अध्ययन केंद्रों हेतु ओवरहेड चार्जेस (फी शेयर का 5%) दिए जाने हेतु न्यूनतम पंजीकृत शिक्षार्थी सीमा 80 से घटाकर 50 किया जाना प्रस्तावित है ।

5. क्षेत्रीय सेवा निदेशालय के समन्वय हेतु संबंधित अधिकारियों को ₹ 500/- प्रतिमाह मोबाइल रिचार्ज /दूरसंचार भत्ता प्रदान किया जाना प्रस्तावित है ।

6. अध्ययन केंद्र नियमावली (तालिका-बी) के अनुसार अध्ययन केंद्रों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के मानदेय की दरों के पुनरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:—समिति ने कार्य की महत्ता के दृष्टिगत सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रस्ताव संख्या 22.07- योग प्रशिक्षकों के मानदेय में वृद्धि पर विचार।

विश्वविद्यालय के योग एवं प्राकृतिक स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत शिक्षार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाले योग प्रशिक्षकों के मानदेय में वृद्धि किए जाने हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है।

योग प्रशिक्षकों के मानदेय वर्ष 2017 में निर्धारित किए गए थे। वर्तमान में अन्य विज्ञान विद्याशाखाओं के समान ही इनके कार्यभार एवं वर्तमान जीवन-निर्वाह व्यय को दृष्टिगत रखते हुए योग प्रशिक्षकों के मानदेय की दरों के पुनरीक्षण हेतु प्रस्ताव समिति के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:— समिति ने कार्यभार एवं लंबे समय से मानदेय पुनरीक्षण न होने के दृष्टिगत सर्वसम्मति से निम्नानुसार पुनरीक्षित दरों पर अनुमोदन प्रदान किया।

क्रम संख्या	*विषय विशेषज्ञ / सामग्री इत्यादि*	*वर्तमान मानदेय*	*पुनरीक्षित मानदेय*
1	*योग प्रशिक्षक*	*₹500 प्रति कक्षा घंटा (100 विद्यार्थियों हेतु)*	*₹700 प्रति कक्षा घंटा (100 विद्यार्थियों हेतु)*
2	*सहा० योग प्रशिक्षक (पुरूष)*	*₹300 प्रति कक्षा घंटा (100 विद्यार्थियों हेतु)*	*₹500 प्रति कक्षा घंटा (100 विद्यार्थियों हेतु)*
3	*सहा० योग प्रशिक्षक (महिला)*	*₹300 प्रति कक्षा घंटा (100 विद्यार्थियों हेतु)*	*₹500 प्रति कक्षा घंटा (100 विद्यार्थियों हेतु)*
4	*विषय विशेषज्ञ*	*₹1000/- प्रति सत्र (1½ घंटा)*	*₹1500/- प्रति सत्र (1½ घंटा)*
5	*सभागार/लैब का चार्ज*	*₹2000/- प्रतिदिन*	*₹4000/- प्रतिदिन*

प्रस्ताव संख्या 22.08- कुलपति कार्यालय को स्वीकृत इंप्रेस्ट धनराशि में वृद्धि पर विचार।

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में दैनिक आधार पर विभिन्न राजकीय एवं विशिष्ट अतिथियों, बाह्य विशेषज्ञों, अधिकारियों एवं विभिन्न समितियों के सदस्यों के आवागमन, आतिथ्य तथा दैनिक प्रशासनिक आपातकालीन व्यवस्थाओं हेतु नकद अग्रिम की आवश्यकता रहती है।

वर्तमान में कुलपति कार्यालय हेतु इंप्रेस्ट की धनराशि ₹8,000 स्वीकृत है। बाजार दरों एवं आवश्यक व्यवस्थाओं की लागत में वृद्धि होने के कारण यह राशि

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

दैनिक आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपर्याप्त सिद्ध हो रही है, जिससे बार-बार बिल समायोजन की प्रक्रिया में समय लगता है।

अतः कुलपति कार्यालय के सुचारू एवं त्वरित कार्य निष्पादन के दृष्टिगत कुलपति कार्यालय को स्वीकृत इंप्रेस्ट धनराशि ₹8,000 को बढ़ाकर ₹12,000 किए जाने का प्रस्ताव समिति के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:— समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

प्रस्ताव संख्या 22.09- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।

22.09.01- विश्वविद्यालय परिसर एवं क्षेत्रीय/अध्ययन केंद्रों में निर्माण, अनुरक्षण एवं अन्य संबंधित कार्यों हेतु ₹25 लाख तक के व्यय हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किए जाने के संबंध में।

उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 919/XXIV-C-1/2024-04(22)/2023 दिनांक 18.12.2024 के प्रस्तर (i) द्वारा राज्याधीन विश्वविद्यालयों को स्वयं के संसाधनों से अर्जित धनराशि से एक करोड़ रुपये तक के निर्माण एवं रखरखाव कार्यों को विश्वविद्यालय के सक्षम स्तरों यथा वित्त समिति, कार्यपरिषद, बी०एम०-80 के अंतर्गत अनुमोदन उपरांत स्वयं कराए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन, आधारभूत संरचना के अनुरक्षण, क्षेत्रीय/ अध्ययन केंद्रों के सुदृढ़ीकरण तथा समयबद्ध रूप से निर्माण एवं अनुरक्षण संबंधी कार्यों को पूर्ण करने के लिए त्वरित वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

अतः आवश्यक है कि अन्य शासकीय विभागों की भांति ही निर्माण/ अनुरक्षण संबंधी कार्यों एवं अन्य आपातकालीन/आवश्यक कार्यों के निष्पादन हेतु उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्वयं के संसाधनों से नवीन निर्माण कार्य, अनुरक्षण कार्य, वर्तमान निर्माण कार्यों में वृद्धि आदि एवं अन्य आवश्यक कार्यों हेतु प्रति कार्य ₹25.00 लाख की सीमा तक की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत कर दिया जाए।

उक्त के क्रम में प्रस्तावित स्वीकृति प्रक्रिया निम्नानुसार है:

1. **तकनीकी मूल्यांकन एवं प्राक्कलन:** संबंधित अनुभाग द्वारा विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जाएगा।

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

2. **मांग एवं औचित्य:** संबंधित विभाग द्वारा कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।

3. **सक्षम स्तर से स्वीकृति:** कार्य की आवश्यकता एवं सुचारू संचालन को देखते हुए वित्त नियंत्रक की संस्तुति पर कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरांत कार्य प्रारंभ कराया जा सकेगा।

4. वित्तीय नियमों एवं दिशानिर्देशों का पालन:

- समस्त निर्माण एवं रखरखाव संबंधी कार्य राज्य सरकार के वित्तीय नियमों, उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमों एवं ई-टेंडरिंग/GeM प्रक्रिया, बजट मैनुअल के प्रस्तर-80 तथा शासन के समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से पालन करते हुए निष्पादित किए जाएंगे।
- संबंधित कार्य के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान होना अनिवार्य होगा।

प्रस्ताव समिति के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:— प्रतिनिधि, सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा विस्तृत विवरण पृथक से उपलब्ध कराए जाने हेतु कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक को निर्देशित किया गया। अन्य सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय के कार्यों के सुचारू संचालन के दृष्टिगत प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई।

22.09.02- विभिन्न निकायों के बाह्य सदस्यों के मानदेय पर विचार।

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सुचारू संचालन तथा नीतिगत एवं अकादमिक निर्णयों हेतु गठित विभिन्न शीर्ष निकायों—कार्यपरिषद (EC), विद्या परिषद (AC), योजना बोर्ड, मान्यता बोर्ड तथा CIQA में बाह्य विशेषज्ञों एवं सदस्यों (External Members) को बैठकों में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाता है।

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठकों में उपस्थित होने वाले बाह्य सदस्यों को देय मानदेय के समान ही विद्या परिषद, योजना बोर्ड, मान्यता बोर्ड तथा CIQA की बैठकों में उपस्थित होने वाले बाह्य सदस्यों को भी प्रति बैठक ₹3,000/- (₹ तीन हजार मात्र) मानदेय प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव समिति के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:— समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

22.09.03- अंतर्राष्ट्रीय नेट बैंकिंग हेतु बैंक खाता खोलना।

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं अनुसंधान संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के प्रकाशन, वैश्विक सोसायटियों के पंजीकरण/सदस्यता शुल्क तथा विभिन्न सॉफ्टवेयर आदि के क्रय /सब्स्क्रिप्शन हेतु विदेशी संस्थानों को समयबद्ध एवं सुगम भुगतान प्रक्रिया के संचालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय नेट बैंकिंग (International Net Banking) की सुविधा से युक्त नए बैंक खाते की आवश्यकता अनुभव की जा रही है।

वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर त्वरित भुगतान हेतु क्रेडिट/डेबिट कार्ड या अंतर्राष्ट्रीय नेट बैंकिंग पोर्टल की आवश्यकता होती है। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक एवं अकादमिक कार्यों में किसी प्रकार का विलंब न हो, इसके लिए एसबीआई में अंतर्राष्ट्रीय नेट बैंकिंग सुविधा युक्त विशेष बैंक खाता खोला जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव समिति के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:—प्रतिनिधि, सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा सुझाव दिया गया कि एक पृथक बैंक खाता खोलते हुए उसमें अंतर्राष्ट्रीय नेट बैंकिंग सुविधा प्राप्त की जा सकती है। इस प्रस्ताव पर समिति ने सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

22.09.04- अल्पकालिक असिस्टेंट प्रोफेसरों एवं प्रशासनिक/तकनीकी परामर्शदाताओं के मानदेय का पुनरीक्षण।

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में पठन-पाठन एवं अकादमिक गतिविधियों के निरंतर संचालन हेतु अल्पकालिक व्यवस्था के अंतर्गत नियोजित असिस्टेंट प्रोफेसर कार्य कर रहे हैं। इनके मानदेय को उनकी सेवा एवं कार्यानुभव के आधार पर अधिक व्यावहारिक बनाने तथा Ph.D. उपाधि की अनिवार्यता संबंधी संशोधनों एवं अल्पकालिक व्यवस्था के अंतर्गत नियोजित प्रशासनिक/तकनीकी परामर्शदाताओं के मानदेय निर्धारण के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव समिति के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:— समिति द्वारा शैक्षिक पदों के संबंध में शासन को विस्तृत विवरण के साथ पदों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव प्रेषित किए जाने तथा गैर-शैक्षिक पदों के संबंध में विश्वविद्यालय की समिति द्वारा पुनर्विचार करते हुए आगामी वित्त समिति में प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया।

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

22.09.05- दूरदर्शन उत्तराखण्ड, देहरादून पर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक वीडियो व्याख्यानों एवं छात्रोपयोगी/प्रचार-प्रसार सामग्री के नियमित प्रसारण हेतु 30 मिनट का प्रसारण स्लॉट बुक किए जाने के संबंध में प्रस्ताव।

दूरस्थ शिक्षा के शिक्षार्थियों तक उच्च गुणवत्ता की शिक्षा, शैक्षणिक गतिविधियाँ, शिक्षण सामग्री एवं छात्र-केंद्रित संसाधन पहुँचाने हेतु विश्वविद्यालय के शैक्षणिक वीडियो व्याख्यानों एवं छात्रोपयोगी/ प्रचार-प्रसार सामग्री को दूरदर्शन उत्तराखण्ड (देहरादून) के माध्यम से नियमित प्रसारण हेतु 30 मिनट का प्रसारण स्लॉट बुक करते हुए प्रसारित किया जाना प्रस्तावित है।

संलग्न विस्तृत प्रस्ताव समिति के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:— समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

22.09.06- विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से आउटसोर्स चतुर्थ श्रेणी पदों पर नियत मानदेय पर कार्यरत 03 कार्मिकों को उपनल कार्मिकों के समान मानदेय दिए जाने के संबंध में प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से आउटसोर्स चतुर्थ श्रेणी पदों पर नियत मानदेय पर कार्यरत श्री जगत सिंह बंगारी, श्री दिनेश चंद्र फुलेरा, एवं श्रीमती छाया देवी को वित्त समिति की तृतीय बैठक दिनांक 15.04.2011 में उपनल कार्मिकों के समान मानदेय दिए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया था। उक्त कार्मिकों के द्वारा वर्तमान में उपनल कार्मिकों के संबंध में शासनादेश संख्या I/367134/XVII-C-1/2025/02(7)/2016 दिनांक 03.02.2026 की व्यवस्था के अनुसार ही मानदेय दिए जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

आवेदन पर विचारार्थ प्रस्ताव समिति के सम्मुख प्रस्तुत है।

निर्णय:—समिति ने सृजित पदों के आलोक में प्रस्ताव का परीक्षण कर आगामी वित्त समिति में प्रस्तुत करने की संस्तुति दी।

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

22.09.07- विश्वविद्यालय के 08 क्षेत्रीय केन्द्रों के कार्यालय हेतु मानकीकृत कार्यालयी आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं विद्यार्थी सहायता संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने तथा क्षेत्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय की गतिविधियों के प्रभावी संचालन में क्षेत्रीय केन्द्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा विद्यार्थियों, अध्ययन केन्द्रों, समन्वयकों, शिक्षकों एवं अन्य संबंधित हितधारकों के साथ नियमित रूप से समन्वय किया जाता है। विद्यार्थियों की विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रशासनिक समस्याओं के समाधान, अध्ययन केन्द्रों के संचालन की निगरानी, विश्वविद्यालय की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा क्षेत्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय एवं विद्यार्थियों के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित करने में क्षेत्रीय केन्द्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः क्षेत्रीय केन्द्रों में आवश्यक न्यूनतम कार्यालयी सुविधाओं की उपलब्धता कार्य की गुणवत्ता, दक्षता एवं प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है।

वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों में उपलब्ध कार्यालयी सुविधाओं एवं संसाधनों में एकरूपता नहीं होने के कारण कार्यालय संचालन में व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। अतः यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालय के सभी क्षेत्रीय केन्द्रों में न्यूनतम आवश्यक कार्यालयी सुविधाओं का एक समान मानक निर्धारित किया जाए। इस उद्देश्य से विश्वविद्यालय के 08 क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए एक "मानकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मॉडल" विकसित किया जाना प्रस्तावित है, जिसे सभी क्षेत्रीय केन्द्रों में वास्तविक आवश्यकता के अनुसार समान न्यूनतम मानकों के आधार पर लागू किया जा सके।

क्षेत्रीय केन्द्रों के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं

प्रत्येक मानकीकृत लघु क्षेत्रीय कार्यालय में न्यूनतम निम्नलिखित कार्यालयी सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है—

- अधिकारी के लिए पृथक कार्यालय कक्ष।
- कर्मचारियों के लिए पृथक कार्य कक्ष।
- विद्यार्थियों के लिए सहायता (Help Desk)
- कंप्यूटर एवं इन्टरनेट आधारित कार्य व्यवस्था।
- प्रिंटिंग स्केनिंग ,एवं फोटोकॉपी की सुविधा।
- आवश्यक फाइल एवं रिकॉर्ड के सुरक्षित रख-रखाव हेतु अलमारी एवं फाइल व्यवस्था।
- विद्युत एवं पावर बेकअप की व्यवस्था।
- CCTV एवं Fire Safety की व्यवस्था।
- विद्यार्थियों/आगंतुकों के लिए बैठक व्यवस्था।
- पीने के पानी एवं अन्य मूलभूत कार्यालयी सुविधाएं।

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

- विश्वविद्यालय की पहचान हेतु मानकीकृत कार्यालय बोर्ड (Office Signage)।
- दैनिक कार्यालय संचालन हेतु आवश्यक स्टेशनरी

प्रस्तावित मानकीकृत लघु क्षेत्रीय कार्यालय मॉडल के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

- सभी 08 क्षेत्रीय केन्द्रों में न्यूनतम एवं समान कार्यालयी मानक स्थापित करना।
- उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए कम लागत में Functional एवं Efficient Regional Office तैयार करना।
- विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर बेहतर, सुगम एवं त्वरित सहायता उपलब्ध कराना।
- क्षेत्रीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए उचित एवं सुविधाजनक कार्य वातावरण उपलब्ध कराना।
- Digital एवं Paper-based Office Work के लिए आवश्यक Infrastructure उपलब्ध कराना।
- पत्रावली एवं दस्तावेजो के सुरक्षित तथा व्यवस्थित रख-रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- Office Security एवं Fire Safety की न्यूनतम आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- फर्नीचर, आईटी उपकरण एवं अन्य कार्यालयी सामग्री की मानक निर्धारित करके क्रय प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।
- जहाँ संभव हो कम से कम लागत में प्राप्त करना।
- भविष्य में स्थापित किए जाने वाले क्षेत्रीय कार्यालय को इसी मानकीकृत मॉडल के अनुसार लागू किया जा सके।

प्रस्तावित कार्यालय संरचना में न्यूनतम निम्नलिखित व्यवस्था प्रस्तावित है-

क्र.	कक्ष/क्षेत्र	प्रस्तावित उपयोग
1	कक्ष–1	Officer Room
2	कक्ष–2	Staff / Administrative Work / Files & Office Records
3	Common Area	Reception / Student Facilitation / Waiting
4	Utility Area	Drinking Water आदि

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी.

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

अधिकारी कक्ष हेतु प्रस्तावित सामग्री-

क्र.	सामग्री	मात्रा	अनुमानित लागत
1	Officer Table	01	रु० 10,000
2	Officer Chair	01	रु० 6,000
3	Visitor Chairs	04	रु० 8,000
4	Side Table	01	रु० 3,000
5	Steel Almirah	01	रु० 8,000
6	Desktop Computer	01	रु० 70,000
7	UPS	01	रु० 5,000
8	Telephone/Intercom	01	रु० 2,000
9	Curtains/Blinds	01 Set	रु० 4,000
	योग		**रु० 116,000**

स्टाफ कक्ष हेतु प्रस्तावित सामग्री-

क्र.	सामग्री	मात्रा	अनुमानित लागत
1	Staff Work Tables	02	रु० 10,000
2	Staff Chairs	02	रु० 8,000
3	Desktop Computer	01	रु० 70,000
4	UPS	01	रु० 10,000
5	Steel Almirah	02	रु० 16,000
6	Filing Cabinet	01	रु० 6,000
7	File/Document Rack	02	रु० 8,000
8	Office Shelving	01 Set	रु० 5,000
9	Curtains/Blinds	01 Set	रु० 3,000
	योग		**रु० 1,36,000**

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय को न्यूनतम डिजिटल कार्यालय के रूप में विकसित करने हेतु -

क्र.	सामग्री	मात्रा	अनुमानित लागत
1	Multifunction Printer – Print/Scan/Copy	01	रु० 25,000
2	Wi-Fi Router	01	रु० 3,000
3	Network Switch	01	रु० 2,500
4	LAN Cabling & Installation	—	रु० 7,500
5	External Hard Disk/Backup	01	रु० 15,000
6	Webcam	01	रु० 2,500
7	Headset	02	रु० 2,000
	योग		**रु० 57,500**

विद्यार्थियों एवं आगंतुकों के लिए -

क्र.	सामग्री	मात्रा	अनुमानित लागत
1	Reception/Help Desk Table	01	रु० 7,000
2	Reception Chair	01	रु० 3,000
3	Visitor Chairs	04	रु० 8,000
4	Waiting Table	01	रु० 3,000
5	Notice Board	01	रु० 2,500
6	Information/Display Board	01	रु० 3,000
7	Suggestion/Complaint Box	01	रु० 1,000
8	Wall Clock	01	रु० 1,000
	योग		**रु० 28,500**

कार्यालय के संचालन हेतु -

क्र.	सामग्री	अनुमानित लागत
1	Inverter/UPS System	रु० 20,000
2	Battery	रु० 20,000
3	LED Lights	रु० 6,000
4	Ceiling/Wall Fans – 03	रु० 9,000
5	Electrical Sockets/Minor Work	रु० 9,000
	योग	**रु० 64,000**

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

कार्यालय में न्यूनतम सुरक्षा व्यवस्था हेतु -

क्र.	सामग्री	अनुमानित लागत
1	CCTV Cameras – 02	रु० 9,000
2	DVR/NVR एवं Storage	रु० 7,000
3	CCTV Installation	रु० 3,000
4	Fire Extinguishers – 1	रु० 4,000
5	Miscellaneous	रु० 4,500
	योग	**रु० 27,500**

Office Utility Items-

क्र.	सामग्री	अनुमानित लागत
1	Water Purifier	रु० 20,000
2	Initial Stationery Stock	रु० 8,500
	योग	**रु० 28,500**

विश्वविद्यालय के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय की एकरूप पहचान हेतु - कार्यालय बोर्ड /फ्लेक्स

क्र.	सामग्री	अनुमानित लागत
1	Main Office Board	रु० 6,000
2	Room Name Plates	रु० 2,000
3	Directional Signage	रु० 2,000
4	Office Information Display	रु० 2,000
	योग	**रु० 12,000**

प्रति क्षेत्रीय केन्द्र कुल अनुमानित बजट-

क्र.	मद	अनुमानित राशि
1	Officer Room	रु० ,116000
2	Staff Room	रु० 1,36,000
3	IT & Digital Infrastructure	रु० 57,500
4	Reception/Student Facilitation	रु० 28,500
5	Electrical & Power Backup	रु० 64,000
6	Security & Fire Safety	रु० 27,500
7	Office Utility Items	रु० 28,500
8	Signage	रु० 12,000
9	Miscellaneous	रु० 30,000
	कुल योग	**रु० 5,00,000**

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

उपरोक्त मदों का कुल अनुमानित व्यय रु० 5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र) प्रति क्षेत्रीय केन्द्र है। यदि प्रति क्षेत्रीय केन्द्र अधिकतम रु० 5,00,000 की स्थापना सीमा रखी जाती है, तो 08 क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए अधिकतम वित्तीय आवश्यकता निम्नानुसार होगी—

रु० 5,00,000 × 08 = रु० 40,00,000

- **पूर्व से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग** : जहाँ किसी क्षेत्रीय केन्द्र में पहले से कोइ भी सामग्री उपलब्ध हो तो ऐसी सामग्री की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए नई खरीद को समायोजित किया जाएगा। प्रस्तावित मानकीकृत मॉडल में अत्यधिक महंगे सामग्री को शामिल नहीं किया गया है। केवल वे सामग्री एवं उपकरण शामिल किए गए हैं जो कार्यालय के दैनिक संचालन के लिए आवश्यक हैं।
- इससे कम लागत में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया जा सकेगा, सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में एकरूपता आएगी, विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा मिलेगी, डिजिटल कार्य प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा, दस्तावेजो का बेहतर रख-रखाव होगा, तथा संभावित लागत में कमी (Cost Saving) होगी।

उपरोक्त तथ्यों एवं आवश्यकता के दृष्टिगत निम्नलिखित प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है—

1. विश्वविद्यालय के 08 क्षेत्रीय कार्यालय के लिए "मानकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मॉडल" लागू किए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की जाए।
2. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के लिए फर्नीचर, आईटी उपकरण, पावर बैकअप तथा अन्य आवश्यक आधारभूत कार्यालयी सामग्री हेतु अधिकतम रु० 5.00 लाख की One-Time Financial Ceiling स्वीकृत की जाए।
3. जहाँ Existing Furniture/Equipment उपलब्ध है, वहाँ उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए नई खरीद को समायोजित किया जाए तथा रु० 5.00 लाख की सीमा को अधिकतम सीमा माना जाए, न कि अनिवार्य व्यय।

निर्णय:— समिति ने विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों को उक्तानुसार अधिकतम 5 लाख की सीमा तक सामग्री उपलब्ध कराए जाने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया।

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी,

कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

22.09.08- मासिक मानदेय के आधार पर चिकित्सक (General Physician) की सेवाएँ प्राप्त किए जाने हेतु राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) किए जाने के संबंध में।

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य लाभ एवं चिकित्सा परामर्श की सुविधा हेतु राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) प्रस्तावित किया गया है। (प्रारूप संलग्न)

- विश्वविद्यालय में एक चिकित्सा व्यवसायी (सामान्य चिकित्सक/General Physician) की सेवाएं प्राप्त करने के लिए, विश्वविद्यालय द्वारा अपने निर्धारित मानदंडों के अनुसार राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी द्वारा नामित विशेषज्ञ के खाते में निर्धारित मानदेय राशि का भुगतान किया जाएगा।
- यह एमओयू दोनों पक्षों के सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमोदन की तिथि से प्रभावी होगा और इसकी अवधि तीन (03) वर्ष की होगी।

प्रस्ताव समिति के सम्मुख राजकीय मेडिकल कॉलेज (GMC), हल्द्वानी के साथ प्रस्तावित MOU तथा विश्वविद्यालय के मानदंडों के अनुसार नामित चिकित्सक को मासिक मानदेय के भुगतान हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय:— समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।

बैठक के अंत में सचिव, वित्त समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया गया।

3-9-25

(सूर्य प्रताप सिंह)
सचिव
वित्त समिति

वित्त नियंत्रक
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी.

3/9/25

(प्रो. नवीन चंद्र लोहनी)
अध्यक्ष
वित्त समिति
कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)